**मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र**

**(Application u/s 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996**)

न्यायालय मुख्य सिविल न्यायालय/जनपद न्यायाधीश ............

मध्यस्थम प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं० ............ सन् ...........

(नाम) (पता) ............................ प्रार्थी

**बनाम**

(नाम) (पता) ...................... प्रत्यर्थी

महोदय,

 प्रार्थी सविनय मध्यस्थम न्यायाधिकरण ............ के द्वारा पारित पंचाट दिनाँक..... को अपास्त कराने हेतु निम्न आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है :

1. यह कि पंचाट तथ्यों एवं विधि विरुद्ध है और बिना क्षेत्राधिकार अथवा क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया है।
2. यह कि प्रार्थी असक्षमता के कारण मध्यस्थम कार्यवाही में भाग नहीं ले सका था अथवा आपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करने में अस्वस्थता (अथवा अन्य कारण) से अस्मर्थ रहा १ । [अस्मर्थता के कारण अंकित करें।

**अथवा/और**

यह कि माध्यस्थम अनुबन्ध कानून की दृष्टि से वैध नहीं था। वैध न होने के तथ्य अंकित करें]

**अथवा/और**

यह कि प्रार्थी को मध्यस्थ नियुक्ति का अथवा मध्यस्थम कार्यवाही का उचित नोटिस नहीं दिया गया था अथवा अपना पक्ष प्रस्तुत करने में अन्यथा अस्मर्थ था। संगत तथ्य अंकित करें

**अथवा/और**

यह कि पंचाट भेजे गये मध्यस्थम मामले से बाहर के मामलों का निर्णय है । तथ्य देकर स्पष्ट करें।

**अथवा/और**

यह कि मध्यस्थम न्यायाधिकरण का गठन अथवा माध्यस्थम कार्यवाही पक्षकारों के मध्य हुए अनुबन्ध के अनुसार नहीं थी। संगत तथ्यों का वर्णन करें।

**अथवा/और**

यह कि पक्षकारों के मध्य विवाद की विषय वस्त मध्यस्थम के अधीन निर्णीत होने याय थी । [संगत तथ्यों का उल्लेख करें कि क्यों निर्णीत योग्य नहीं थी।

**अथवा/और**

 यह कि पंचाट भारतीय लोक नीति के विरोध में है। विरोध के तथ्य अंकित करे.

1. यह कि प्रार्थी को पंचाट दिनाँक ............ को प्राप्त हुआ था जिसके तीन माह में अन्दर ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

**अथवा**

यह कि प्रार्थी पंचाट दिनाँक ............ को प्राप्त करने डे बावजूद अपनी अस्वस्थता/दोषपूर विधिक परामर्श (अथवा अन्य किसी पर्याप्त आधार/कारणा के कारण तीन माह में प्रार्थना पत्र नह दे सका था किन्तु उस अवधि के व्यतीत होने के 30 दिन के अन्दर ही विलम्ब क्षमा की प्रार्थना के साथ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि विधिक रूप से आपेक्षित न्याय शुल्क का भुगतान किया जाता है। अत: प्रार्थना है कि उक्त आपेक्षित पंचाट को अपास्त करने की कृपा करें।

 **दिनाँक..... प्रार्थी….**

 **द्वारा अधिवक्ता**